

अति आवश्यक
तिथिबद्ध

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।


सेवा में,

1. अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, अम्बाला, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद सर्कल-1,2,3, गुरुग्राम सर्कल-1,2 तथा हिसार।
2. उप निदेशक, IS & H) O/o अतिरिक्त श्रम आयुक्त (NCR) गुरुग्राम।
3. उप निदेशक, (IS & H) अम्बाला, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम सर्कल-1,2 तथा हिसार।
4. उप निदेशक, (IH) फरीदाबाद तथा गुरुग्राम सर्कल-2।
5. उप श्रम आयुक्त, पानीपत, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम सर्कल-1,2, हिसार तथा रोहतक।
6. सहायक निदेशक (IS & H) कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर-1, सोनीपत-1, रोहतक, भिवानी, सिरसा तथा रिवाड़ी।
7. सहायक श्रम आयुक्त, अम्बाला, यमुनानगर-1, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत-1, रिवाड़ी, बहादुरगढ़, भिवानी, सिरसा, पलवल, कैथल, जीन्द तथा मेवात एट नूँह।

क्रमांक:- 1425-72 दिनांक:- 19/08/2020

विषय:- 31 मार्च 2020 को जो बिल ड्रा नहीं किये जा सके उनकी सूचना भेजने बारे।

विषय सम्बन्ध में आपको निर्देश दिए जाते हैं कि 31.03.2020 को खजाना अधिकारी/कार्यालय द्वारा आपके कार्यालय से सम्बन्धित जो बिल पास किये जा चुके थे परन्तु कोविड-19 के कारण उन्हें ड्रा नहीं किया जा सका। उनकी सूचना स्कीमवाइज/हेडवाइज मुख्यालय की लेखा शाखा को ई-मेल (acclabour16@gmail.com) द्वारा दिनांक 21.08.2020 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि वित्त विभाग को सूचना दी जा सके।


लेखा अधिकारी
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।